प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 20 जून, 2011

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की "घोषणा संख्या 225/2010 अगस्त्यमुनि में स्थाई मंच एवं ग्रीन रूम की स्वीकृति दी जायेगी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–356/सं0नि0उ0/दो–3(मु0घो0)/2011–12 दिनांक 30 अप्रैल, 2011तथा के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अगस्त्यमुनि में स्थाई मंच एवं ग्रीन रूम के निर्माण कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तराखण्ड द्वितीय, रूद्रप्रयाग से गठित आगणन कुल रू0 17.47 लाख में से प्रथम चरण के कार्यो (DPR आदि) हेतु ₹0.47 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि ₹0.41 लाख (₹इक्तालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 571/XXVII (1)/2010 दि0– 19–10–2010 के विहित शर्तो के अनुसार अगले चरण के लिए शीघ्रता से समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

12– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति–800–अन्य व्यय–03–सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण–00–24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–48 (पी)/XXVII(3)/2011–12 दिनांक 30 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 449 /VI-2/2011–80(16)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सम्बन्धित संस्था।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।